A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
92/प्रा0पत्र/14	09.10.2014	28.05.2024

सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली –प्रार्थी

बनाम

1. हरजी आ0 भंवरलाल जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। (मृतक)

1/1. प्रहलाद आ0 हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
1/2. बहादुर आ0 हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
1/3. खेमराज आ0 हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
1/4. धापू बेवा हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
1/5. गुलाब बाई पुत्री हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
1/6. हिरा बाई पुत्री हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
1/7. रतनी पुत्री हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
1/8. सन्तरा बाई पुत्री हरजी जाती मीणा निवासी पपराला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी । ।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से–पेरोकार सरकार
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 556 रकबा 16 बिस्वा, ख.सं. 585/881 रकबा 16 बिस्वा

कलक्टर

A6/2

किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 556 रकबा 16 बिस्वा, ख.सं. 585/881 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पपराला आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1977 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी के वारिसान को नोटिस तलब किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुये। न्यायालय द्वारा वारिसान को बार-बार रूक-रूककर आवाज लगवायी गयी, बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 05.10.2020 को उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के वारिसान ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी हरजी की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी के कायम मुकाम को तलब किया गया जो बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है इससे प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि ख.सं. 556 रकबा 16 बिस्वा, ख.सं. 585/881 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पपराला आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1977 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

हमने बहस पेरोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से अप्रार्थी हरजी की मृत्यु होना पाया गया एवं आवंटित भूमि पर अप्रार्थी के वारिसानों का कब्जाकाश्त होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। अप्रार्थी हरजी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा आंवटी की मृत्यु होने पर आंवटी के कायम मुकाम तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 22.10.1977 खारिज किया जाता हैं। विवादित आराजी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय की निर्णय पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी